न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

<u>उनवान शिवराम बनाम रमेश वगै0</u>

वाद संख्या–189/2016

दिनांक निर्णय–14.09.2018

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा [illegible]कारस्मा, उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वादी शिवराम पुत्र जयचन्द जाति मीना निवासी ग्राम बैजुपाडा तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार भूमि आराजी ख0 नं0 185 रकबा 0.22 है0, 186 रकबा 0.22 है0, 188 रकबा 0.13 है0, 189 रकबा 0.11 है0, 263 रकबा 0.05 है0, 264 रकबा 0.45 है0, 265 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम बैजूपाडा तह0 बसवा में स्थित है, जिसमें प्रविादी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्से की खातेदारी दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/8 हिस्से की खातेदारी दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 4, 5 के नाम 1/4, 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। जिसे आगे वाद पत्र में भूमि मुतदाविया से सम्बोधित किया जावेगा।

प्रतिवादी संख्या 1 रमेशचन्द पुत्र जयचन्द द्वारा अपने हिस्से की उक्त आराजी सम्पूर्ण को उक्त भूमि में बने बोरिंग, व बिजली कनेक्शन सहित व उक्त भूमि में उसी रिहायशी पाटोल सहित दिनांक 19.7.2001 ई0 को बिल एवज 75000/– रूपये में विक्रय कर विक्रय धन की चुकती रकम वादी से प्राप्त कर मौके पर वादी का कब्जा भौतिक रूप से करवा दिया। इस प्रकार वादी स्वयं का 1/8 हिस्सा, जो उसकी खातेदारी में दर्ज है तथा रमेशचन्द पुत्र जयचन्द प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/8 को खरीद करने के पश्चात सम्पूर्ण भूमि मुतदावियां के 1/4 हिस्से पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा [illegible] में रमेशचन्द के हिस्से में आई भूमि पर बरोज खरीद से दिन[illegible] खातेदार शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है, जिससे वादी का [illegible] 12 वर्ष से भी अधिक समय का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

हो जाने के कारण वादी कानूनन रमेशचन्द प्रतिवादी के हिस्से की भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार हो गया है वाद पत्र में अंकित किया गया है।

भूमि मुतदावियां का पक्षकारान के मध्य बाहमी रूप से तो अर्सा करीब 25 वर्ष से बंटवारा हो गया है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है परन्तु भूमि मुतदावियां का विधिवत रूप से तकास्मा नही हुआ है जिस वजह से प्रतिवादीगण की वजह से बदमान्ति उत्पन्न हो गई है एवं प्रतिवादीगण अब भूमि मुतदावियां में से वादी के हिस्से में आई भूमि एवं रमेशचन्द से खरीद की गई भूमि जिसे वादी ने लाखो रूपयें की लागत लगाकर सरसब्ज बनाया है, को हडप करना चाहते है व वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है व वादी को अपने हक हकूक व अधिकारो से वंचित रखना चाहते है। ऐसी सूरत में वादी भूमि मुतदाविया का सरस नरस के हिसाब से तकास्मा कराकर वादी अपने हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम कराने का अधिकारी है व लगान का भी इसी कदर बंटवारा कराकर अलग पास बुक जारी करवाने का अधिकारी है।

भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र का सरस नरस के हिसाब से तकास्मा कराकर वादी के हिस्से 1/4 का अलग अलग तकास्मा किया जाकर अलग अलग खाते कायम किये जावे व लगान का भी इसी कदर बंटवारा किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने नौकरों, ऐजेन्टो घरवालो या दीगर मददगारान के भूमि मुतदाविया का जब तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे जब तक किसी भी भू-भाग को किसी दीगर सख्स को रहन व बय करने से, वादीगण द्वारा बोई हुयी फसल को काट कर ले जाने से व वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली न्यायालय में सुन... पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित हुए। वकील उभयपक्षो को सुना... हेतु सहमत है।

अतः उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनने व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने व विद्वान उभय पक्ष के वकीलो की सहमति अनुसार दावा वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दिया जाता है कि आराजी ख0 नं0 185, 186, 188, 189, 263, 264, 265 कुल किता 7 कुल रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम बैजूपाडा तह0 बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस (Neets and Bounds) व आबादी, कब्जा, रास्ता, चाह आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुर्रेजात प्रस्तुत किये।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
रमेश पुत्र जयचन्द कौम मीना सा0 देह	186/1	0.17
	किता 1	0.17 है0
मुकेश पुत्र राधेश्याम केशर पत्नि राधेश्याम कौम मीना सा0 देह राहिन पीएनबी शाखा बिवाई मुर्तहीन	186/2	0.03
	188/2	0.13
	किता 2	0.16 है0
श्योनारायण पि0 मु0 बिहारी कौम मीना सा0 देह राहिन पीएनबी शाखा बिवाई मुर्तहीन	263	0.05
	264/1	0.30
	किता 2	0.35 है0
विनोद पुत्र नरसी कौम मीना सा0 देह राहिन पीएनबी शाखा बिवाई मुर्तहीन	185	0.22
	264/2	0.03
	किता 2	0.25 है0
शिवराम पि0 जयचन्द कौम मीना सा0 देह	186/3	0.02
	किता 1	0.02 है0
घनश्याम पि0 जयचन्द कौम मीना सा0 देह राहिन पीएनबी शाखा बिवाई मुर्तहीन	264/3	0.12
	265/1	0.06
	किता 2	0.18 है0
किरोडी पि0 भौरया कौम मीना सा0 देह	189	0.11
	किता 1	0.11 है0
सियाराम पि0 चन्दूलाल कौम मीना सा0 देह	265/2	0.16
	किता 1	0.16 है0

प्राप्त कुरेजात [illegible] वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुर्रेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए [illegible] वादी द्वारा कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा [illegible] अवलोकन एवं मनन किया जाकर गुणावगुण के आधार पर मुताबिक कुर्रेजात तहसीलदार बसवा तकास्मा किया जाता है। न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात वाद तकास्मा निर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested

14/9/18

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुर्रेजात वाद तकस्मा अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 14.9.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

14/9/18

(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:03:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner